

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट डबलीकलां)
 पि० मनीराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी ।
 -वादीगण


1. बृजलाल
 2. गंगाधर

- बनाम
 1. परमेश्वरी पत्नी श्रीराम पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पीरकामडिया तह. टिब्बी ।
 2. कृष्णचन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी ।
 3. जैता पत्नी रामचन्द्र पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ ।
 4. गुड्डी पत्नी रजीराम पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ ।
 5. बलराम } माता विधादेवी पुत्री मनीराम पत्नी दुनीराम जाति जाट निवासी काशीराम का
 6. भूपसिंह } बास तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
 -प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-187/2018
 अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए
 निर्णय दिनांक:-13.6.2018

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-

- (क)-वादी सं० 1 बृजलाल को प्राप्त आराजी:-चक नं० 5 एनडीआर सी के प०न० 182/343 मु० 16 किला नं० 13,14,17,18
 (ख)-वादी सं० 2 गंगाधर को प्राप्त आराजी:-चक नं० 5 एनडीआर सी के प०न० 182/343 मु० 16 किला नं० 6,23/2/.228,प०न० 183/343 मु० 17 किला नं० 9, 10/2/.227 है।
 उपरोक्त अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से अंकन कर चक नं० 5 एनडीआर सी के खाता हाजा में से मनीराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान से अपना-अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।
 यह आज तारीख 13.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत डबली कलां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	1000/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. रूपय पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6. कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामील	0		0
	1000/-	जोड़	0